भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

R 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

R 20000 रु

03CC 385503

A.T.O/T.O.
TRY.LKO

<u>विक्रय विलेख</u>

विक्रय मूल्य : रु0 10,62,643/-
बाजारू मूल्य : रु0 5,09,400/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 1,06,300/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख नन्हा पुत्र डोरी निवासी –ग्राम –यूसुफ नगर उर्फ बनियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ एवं जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् सलाम पुत्र गेंदू

[illegible]

20106226407

[illegible] 40-7042

[illegible]

7-11-04

[illegible]

7-11-05

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000 रु.

03CC [illegible]

A.T.O.(T.O.)
TRY.LKO.
9 NOV 2004

वर्तमान निवासी-254, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी-ग्राम मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-गौगीर, जिला-फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-16, 29, 35, 44, 45 कुल रकबा-0.566 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना -बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित चतुर्वर्षीय खाता खतौनी क्रम संख्या 146 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना

[illegible]

৭-১১-০৭

[illegible]

৭-১১-০৭

[illegible]

৭-১১-০৭

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 305505

A.T.O.T.D.
TRY.LKO.

सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

R. 20000 रु.   INDIA NON JUDICIAL   R. 20000 रु.

83CC 305506

उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 10,62,648/- (दस लाख बासठ हजार छः सौ अड़तालिस रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची . के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

0302 305507

A.GUPTA
STY.V.N.D.

5

पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या

५000रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

189586

अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियागढ़, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.566 हेक्टेयर की मालियत रू0 5,09,400/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,06,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. R 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या-16, 29, 35, 44, 45 कुल रकबा-0.566 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ मनियामऊ, परगना -बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 16 रकबा 0.067 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या-77
पश्चिम	: खसरा संख्या-15
उत्तर	: खसरा संख्या-81, 82
दक्षिण	: खसरा संख्या-17, 77

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

100Rs.

<u>खसरा न० 29 रकबा 0.051 हेक्टेअर</u>

पूरब	: खसरा संख्या-46
पश्चिम	: खसरा संख्या-46, 36
उत्तर	: खसरा संख्या-35
दक्षिण	: खसरा संख्या-46

<u>खसरा न० 35 रकबा 0.253 हेक्टेअर</u>

पूरब	: खसरा संख्या-32
पश्चिम	: खसरा संख्या-37, 36
उत्तर	: खसरा संख्या-39, 34
दक्षिण	: खसरा संख्या-29, 30

<u>खसरा न0 44 रकबा 0.021 हेक्टेयर</u>

पूरब	: खसरा संख्या–45
पश्चिम	: खसरा संख्या–30
उत्तर	: खसरा संख्या–43
दक्षिण	: खसरा संख्या–46

<u>खसरा न0 45 रकबा 0.174 हेक्टेयर</u>

पूरब	: खसरा संख्या–47
पश्चिम	: खसरा संख्या–43, 44, 46
उत्तर	: खसरा संख्या–43
दक्षिण	: खसरा संख्या–46

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 10,62,648/ (दस लाख बासठ हजार छः सौ अड़तालिस रूपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

लखनऊ
दिनांक: 09.11.2004
गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(संजय रतन सिंह)
एडवोकेट

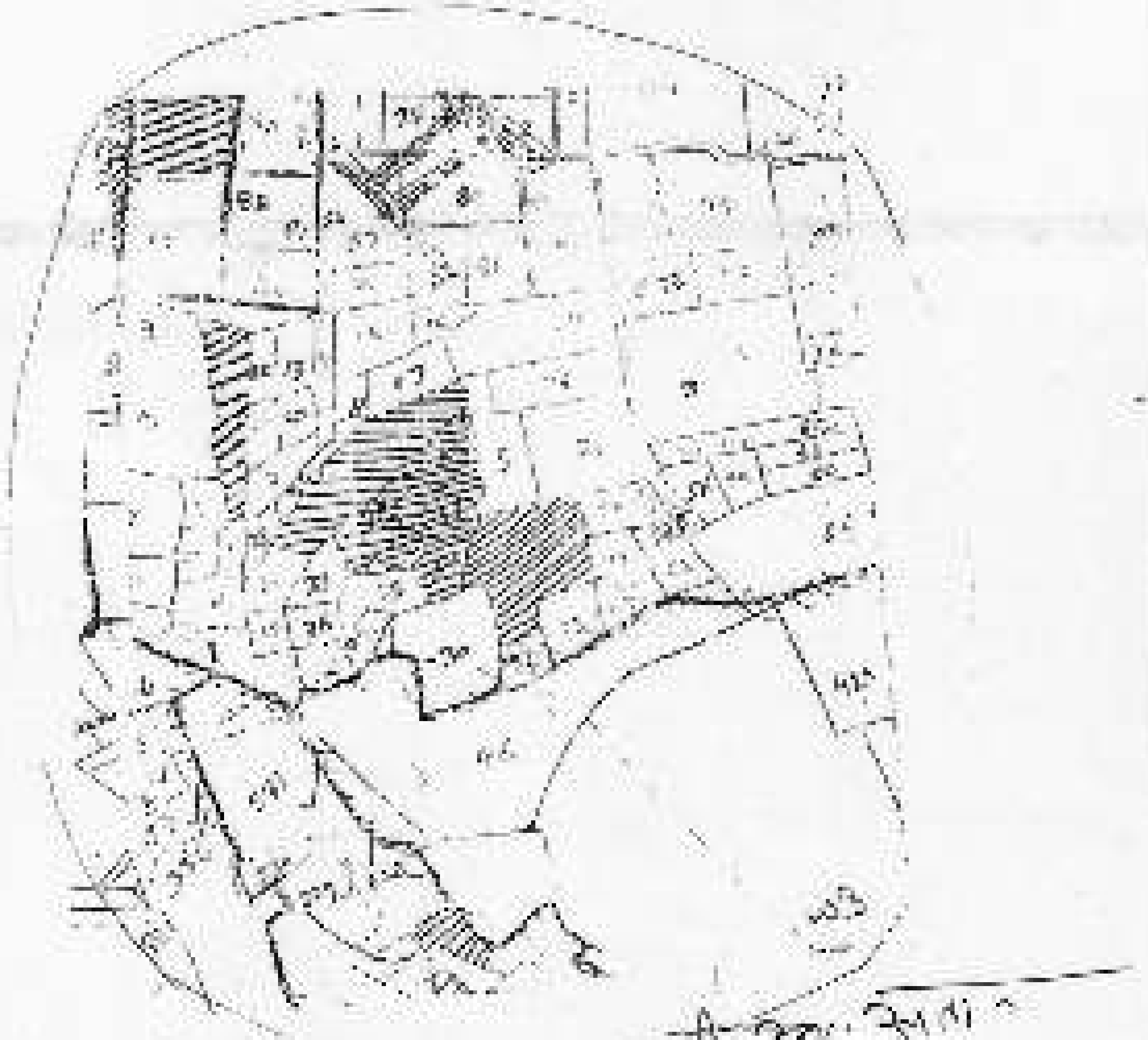

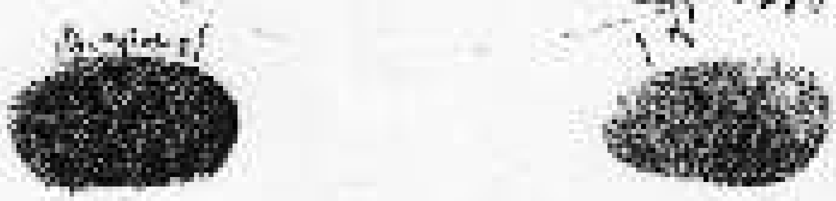

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

9-11-04
I
724
103
25.30
9764